बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–12/03/2018

सं०–1/श्रम वि०ई० 7–7002/2011–श्र०सं०– 257 /विभागीय अधिसूचना सं० 27, दिनांक 07.6.16 द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार नियोजन सेवा एवं बिहार श्रम सेवा के 4 पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के तहत रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी गयी है।

2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 4 पर नामित डॉ० शमशेर बहादूर सिंह के सम्बन्ध में भारतीय रेल में दिनांक 13.5.86 से 19.3.88 तक किये गये सेवा के आधार पर इनके माँग के अनुरूप 30 वर्ष पूरी होने की तिथि से तृतीय रू०सु०वृ०उ० दी गयी थी। बाद में महालेखाकार बिहार द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने और वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में भारतीय रेल के सेवावधि के आधार पर तृतीय रू०सु०वृ०उ० देय नहीं है। इस कारण विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी ने पूर्व की अनुशंसा को रद्द करते हुये अयोग्य की अनुशंसा की है।

3. वर्णित स्थिति में विभागीय अधिसूचना सं० 27, दिनांक 07.6.16 के क्रमांक 4 पर नामित डॉ० शमशेर बहादूर सिंह को दी गयी तृतीय रू०सु०वृ०उ० को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.3.18
(सतीश कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–1/श्रम वि०ई० 7–7002/2011–श्र०सं०–257/ पटना–15, दिनांक–12/03/2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सम्बन्धित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.18
सरकार के अवर सचिव